

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १५७]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर २२, १९६९/भाद्र ३१, १८९१

No. 157]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 1969/BHADRA 31, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September 1969

No. 37/1/IX/69/T.—The following order by the President dated the 20th September, 1969, is published for general information:—

“In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Lok Sabha to meet at New Delhi on Monday, the 17th November, 1969 at 11 A.M.

V. V. GIRI,

President.”

September 20, 1969.

S. L. SHAKDHER, Secy.

लोक-सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1969

संख्या 37/1/9/69/डी० —राष्ट्रपति का दिनांक 20 सितम्बर, 1969 का निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड (1) द्वारा मुझे प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा लोक-सभा को सोमवार, 17 नवम्बर, 1969 को 11 बजे म० पू०, नई दिल्ली में बैठक के लिये आमंत्रित करता हूँ।

20 सितम्बर, 1969।

बी० बी० गिरी,
राष्ट्रपति।

श्यामलाल शकधर, सचिव।